# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | लालाराम बनाम ग्राम पंचायत खोराबीसल<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | 344/2021<br>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/03/2026 को पेश हो।<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |
| 23/03/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 16/3 रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा में करीब 15 बीघा जमीन पर अपीलान्ट्स के पूर्वज जागीर के समय से कृषि कर काबिज़ काश्त करते आ रहे थे। पिता के स्वर्गवास के पश्चात आज तकं अपीलान्ट काबिज काश्त बतौर खातेदार कातश्कार हैं। साबिक आराजी खसरा नम्बर 16/3 के वर्तमान बन्दोबस्त कार्यवाही के दौराने हाल खसरा नम्बर 47 रकबा 1.21 हैक्टेयर खसरा नम्बर 48 रकबा 5.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 62 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 63 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.09 हैक्टेयर जो विवादग्रस्त भूमि हैं ग्राम आबादी के पास अपीलार्थीगण व अन्य के नाम खातेदारी कृषि भूमि का खसरा नम्बर 449 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 450 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 452 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 453 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 455 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 457 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 458 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 459 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 460 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 461 रकुबा 9 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 462 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 13 रकबा 93 बीघा 1 बिस्वा स्थित थी जो तलाई वाली जमीन कहलाती हैं तथा वास्तव मे चारागाह के काम आती थी। लेकिन पूर्व भू-प्रबंध के दौराने उपरोक्त भूमि को हम लोगो की खातेदारी में अंकित कर दिया। हम हमारे वास्तविक कब्जे काश्त खातेदारी की जमीन जो बीड वाली कहलाती थी जिसके खसरा नम्बर 16/3 बने को गलती से भू-प्रबंध कर्मचारियों ने चारागाह अंकित कर दिया। पूर्व भू-प्रबंध विभाग द्वारा उपरोक्त त्रुटिपूर्ण गलती के कारण सभी काश्तकारों ने तलाई वाली<br>राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लालाराम बनाम ग्राम पंचायत खोराबीसल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 344/2021 | | |

समस्त भूमि 93 बीघा 1 बिस्वा को चारागाह में अंकित करने हेतु भू-प्रबंध विभाग को लिखकर दिया तथा खसरा नम्बर 16/3 रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा बीड वाली भूमि को हमारे नाम खातेदारी में अंकित करने हेतु लिखकर निवेदन किया ताकि रिकार्ड दुरूस्त हो सकें। भू-प्रबंध अधिकारी ने हमारे नाम वाली तलाई की भूमि 93 बीघा 1 बिस्वा को चारागाह में अंकित कर दिया लेकिन खसरा नम्बर 16/3 को चारागाह से खातेदारी में अंकित नही किया। जिसका पता चलने पर ग्राम पंचायत में आवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने दिनांक 23/10/1979 द्वारा यह मानते हुये कि उक्त चारागाह में अंकित भूमियों को सिवायचक लगानी में अंकित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत किया। भूमि खसरा नम्बर 16/3 की भूमि कभी भी अर्थात न तो जागीर के समय और न हीं उसके पश्चात आज तक चारागाह के रूप में काम आई। अपितु काश्त के काम आ रही हैं। यह भूमि पूर्व भू-प्रबंध के समय त्रुटिपूर्ण ठिकाना मकबूजा में दर्ज कर दी गई। जबकि मकबूजा ठिकाना भूमि खसरा नम्बर 16/3 में 15 बीघा भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी नही की गई। जिस कारण अपीलान्ट को हमेशा तहसील कार्यवाहियों से परेशानी भोगनी पड रही है तथा विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी अपीलान्ट के नाम नही हो पाई। इस कारण अपीलान्ट को जिलाअध्यक्ष महोदय जयपुर को जरिये वकील दिनांक 05/01/1995 को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिया इस नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी प्रार्थीगण को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया गया। ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय दिनांक 23/10/1979 में अपीलान्ट के हक को स्वीकार किया हैं, तथा उसे किसी प्रकार की आपत्ति नही हैं। फिर भी कानून की मंशा के अनुसार ग्राम पंचायत को पक्षकार संख्या 1 बनाया गया हैं। अर्थात् जमीन की किस्म की परिवर्तन हो जाने के कारण अपीलान्ट को तहसील के अधिकारियों एवं पटवारियों द्वारा बेदखल की धमकी दी जा रही हैं। प्रार्थीगण का जीवन का आधार केवल कृषि भूमि है उनको न केवल भारी परेशानी हो रही है बल्कि अपनी कृषि कार्य में भी कठिनाईयां हो रही हैं। वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 48 रकबा 5.34 हैक्टेयर में से 5 हैक्टेयर की खातेदारी राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय व डिक्री के आधार पर अन्य व्यक्तियो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। जिसके खसरानम्बर 48/1 अंकित किया गया तथा साबिक खसरा नम्बर 16/3 में से 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि का नियमन गणेश जाट के पक्ष में किया गया हैं। अनुतोष चाहा गया कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | लालाराम बनाम ग्राम पंचायत खोराबीसल<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 345/2021 | | |

आराजी खसरा नम्बर 16/3 वाके ग्राम नांगल सिरस तहसील आमेर जिला जयपुर 15 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम नांगल सिरस में नियत कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07/06/2018 पारित करते हुये वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होना धारित करते हुये प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी की धारा 16 के अंतर्गत ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नाधीन वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हुआ, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प कोर्ट नांगल सिरस में नियत कर पक्षकारान की सुनवाई किये बगैर ही विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनदेखी कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये ख़ारिज कर दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा के वाद को निस्तारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | ऐसी स्थिति में विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07/06/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये तनकीयात कायम कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | लालाराम बनाम ग्राम पंचायत खोराबीसल<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 344/2021 | | |

साक्ष्य सबूत प्राप्त कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे एवं तब तक न्यायहित में विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तंकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर